न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या 17/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/18)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सूरत सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर।		1. गुरप्रीत कौर पुत्री मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. निरजन सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. सुखराज कौर पत्नी मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. सरूप सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 25.01.2023

उपस्थितः1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादी

——निर्णय—— **दिनांकः 20.05.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/31 के मु0नं0 12 किला नं0 16 के 0.253 है0, किला नं0 17/1 के 0.051 है0, किला नं0 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम इसी प्रकार कुल 1.569 है0 नहरी भूमि मुश्तका खाता में दर्ज है। उक्त भूमि मुश्तका खाता की भूमि में से वादी के नाम 1.265 है0 नहरी भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त खाता की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज हैं। काश्तकारों ने काश्त की सहुलियत से मौखिक बंटवारनामा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा के अनुसार अपनी-अपनी भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में से वादी सूरत सिंह के कब्जा काश्त में चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/31 के मु0नं0 12 के किला नं0 16 के 0.253 है0, किला नं0 17/1 के 0.051 है0, किला नं0 21, 22, 23 प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 24 के 0.202 है0 कुल 1.265 है0 नहरी भूमि है। उक्त भूमि वादी को घरू वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है एवं उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में हैं उक्त भूमि को वादी ने कम्प्यूटर कराहा लगाकर उपजाऊ बनाया है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट चुकी है इस कारण भूमि की काश्त करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदारी व लगान आदि के बाबत् व रस्ता के बाबत् भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती हैं। जब तक संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक संयुक्त खाता की भूमि का प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदार का बहिस्सा बराबर कब्जा माना जाता है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। इस कारण वादी वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। वादी दिनांक 10.01.2023 को प्रतिवादीगण से मिला व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/31 के मु0नं0 12 के किला नं0 16 के 0.253 है0, किला नं0 17/1 के 0.051 है0, किला नं0 21, 22, 23 प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 24 के 0.202 है0 कुल 1.265 है0 नहरी भूमि है। वादी को उक्त भूमि को किलेवाईज नाम दर्ज कर खातेदार मालिक घोषित किया जाकर लगान भी वादी संख्या 1 के नाम से अलग से कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया जाता है। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आरजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 6 ओ ए, पटवार मण्डल लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/31 में मुरब्बा नं0 12 में कुल रकबा 1.569 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी सूरत सिंह पुत्र प्यारा सिंह के हिस्सा में 1.265 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादी अधिवक्त सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 6 ओ ए, पटवार मण्डल लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/31 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.569 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादी सूरत सिंह पुत्र प्यारा सिंह के हिस्सा 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सूरत सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ओ तहसील श्रीकरनपुर। (1.265 हैक्टेयर)	6 ओ ए	12	16	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				17/1	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.42
				21 ता 23	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				24/1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.68

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर